चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती अंजुमन पत्नी गुलाम हुसैन पुत्री मो0 फिरोज निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति गुलाम हुसैन व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर घर से निकालने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी,महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी मंजुलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा व घर से न निकालने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

3.महिला आरक्षी मंजुलता पाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार राय व आरक्षी शुभम मिश्रा द्वारा अभियुक्त अमर सिंह पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम महेन्द्र थाना करारी जनपद कौशाम्बी को 22 अदद क्वार्टर के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). आज दिनाँक 11.12.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह की उपस्थिति में थाना पहाड़ी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा अर्दली रुम के दौरान विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। मुकदमों से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तार की जाये। थाने पर पेण्डिग एनबीडब्ल्यू,नोटिस तामिला,सम्मन तामिला,प्रार्थना पत्र एवं महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त प्रार्थना पत्र की जनसुनवाई एवं आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में माननीय न्यायालय में मुकदमों में शीघ्र सजा कराने हेतु पैरवी का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की गयी

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में आज दिनांक 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार राय

की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयाकर करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा सजा दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत् प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु,माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया।

इस दौरान सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री विजय सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

6.आज दिनाँक 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा शराब की दुकान, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।